Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

किशन सिंह कामरा पुत्र स्व. नोध सिंह कामरा जाति अरोड़ा निवासी श्रीविजयनगर

बनाम

सिद्दि कामरा पुत्र हरविन्द्र सिंह कामरा जाति अरोड़ा निवासी वार्ड न. 14 नजदीक आनन्दपुर कुटिया श्रीविजयनगर आदि

किस्म मुकदमा:—अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 प्रकरण सं.— 52/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
23.5.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष हाजिर। बहस उभय पक्ष सुनी गई। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि नोध सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह कामरा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 9 के पिता एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के दादा थे। जिनका देहान्त दिनांक 01.01.2020 को हो चुका है। अपीलांट की माता का भी देहान्त माह नवम्बर 2020 में हो चुका है। अपीलांट के पिता नोध सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह के नाम से चक 29 जीबी के पत्थर 174/418 मुरब्बा न. 37 किला न. 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 23 में कुल 2.466 है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी में अंकित थी। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पिता रेस्पोंडेंट संख्या 5 ने एक कूटरचित वसीयत तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय से जैर अपील आदेश पारित करवा लिया। अपीलांट नोध सिंह का जायज वारिस है व जैर अपील भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जैर अपील रकबा पर अपीलांट के हित निहित है व अपीलांट हितबद्व पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये, बिना किसी कोई सूचना दिये व अपीलांट को अपना पक्ष रखने का समय दिये बिना ही एकतरफा तौर पर जैर अपील आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्व है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से अपीलांट के अधिकार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने से अपीलांट को क्षति कारित हो रही है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अनुमति प्रदान करे। वकील रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व 5 ने दौराने बहस कथन किया कि यह जैर अपील रकबा की वसीयत नोध सिंह द्वारा अपनी स्वेच्छा से रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित की गई थी। जैर अपील रकबा पर उक्त वसीयत की दिनांक से हमारा ही कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसमें अपीलांट का कोई हित निहित नहीं है तथा ना ही अपीलांट प्रभावित एवं हितबद्व पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर निरस्त की जावे। पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जिससे अपीलांट अपना पक्ष नहीं रख पाये है। अपीलांट वसीयतकर्ता नोध सिंह के पुत्र है जिससे जैर प्रकरण भूमि पर अपीलांट के हित निहित है। अपीलांट आलौच्य आदेश से सीधे सीधे व्यथित एवं प्रभावित पक्षकार है। इसलिए अपील पेश करने की कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अनुमति प्रदान की जाती है। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय [illegible] नोध के वारिसान को व्यक्तिगत नोटिस दिये बिना पारित किया [illegible] है। [illegible]सकी जानकारी अपीलांट को कतई नहीं थी। अपीलांट को अपीलाधीन [illegible]श की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.07.2021 को राजस्व रिकार्ड की [illegible] प्राप्त करने	

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री. गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.06.13 11:17:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

के लिए तहसील कार्यालय में हुई। तब दिनांक 29.7.2021 को नकल प्राप्ति हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 06.08.2021 को प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई। चूंकि उस समय कोविड–19 का दौर भी चल रहा था। परन्तु फिर भी अपीलांट ने जानकारी की दिनांक से बिना किसी देरी के अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलांट द्वारा जान बूझ कर अपील देरी से पेश नही की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 5 ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि हस्तगत अपील वसीयत आदेश के विरूद्व पेश की है। वसीयत सबंधी प्रकरण की कार्यवाही जब न्यायालय तहसीलदार के समक्ष चलती है तब उक्त कार्यवाही मे पटवारी, गिरदावर मोके पर जाकर रिपोर्ट लाते है उसके बाद पक्षकारो व हर आम व खास के खिलाफ सार्वजनिक सूचना दैनिक समाचार पत्रो मे प्रकाशन की जाती है। जिसमे आपति दिवस का निर्धारण किया जाता है। उक्त वसीयत मे सार्वजनिक सूचना प्रकाशन होने पर अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपित्त दर्ज करवानी चाहिए थी। किन्तु अपीलान्ट ने ऐसी कोई आपति दर्ज नही करवायी। प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र को टाईप करवाते समय दिंनाक का स्थान खाली छोडा हुआ है जिसे बाद मे पैन द्वारा भरा गया है। इससे भी यह सदेंह उत्पन होता है कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र लिखने के बाद मियाद की अवधि के सबंध मे कहानी बनाकर अपने तथ्य प्रार्थना पत्र मे अकिंत करवाये है। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र मे ऐसे कोई तथ्य अकिंत नही करवाये है जिन पर विश्वास किया जा सके की अपीलान्ट को उक्त निर्णय का ज्ञान नही था। जबकि मियाद अधिनियम मे मियाद के बिन्दु पर स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि एक एक दिन की देरी को स्पष्ट करने की जिम्मेवारी अपीलान्ट की होगी। अपीलान्ट ने अपनी मूल अपील मे भी जहां कहीं मियाद का बिन्दु अकिंत किया है उन स्थानो पर दिनांक को खाली छोडा गया है जो बाद मे पैन द्वारा भरे गये है। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र प्रार्थना पत्र पर चस्पा नही होने के कारण भी प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रांर्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रार्थी/अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जावें अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि श्रीमानजी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र झुठे तथ्यो पर आधारित होने से अपील मियाद बाहर होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत सुना जाना प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में देरी का जो कारण बताया है वह संतोष जनक है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र के पक्ष में प्रस्तुत शपथ पत्र का प्रतिशपथ भी रेस्पोडेंटस द्वारा पेश नहीं किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कोविड–19 महामारी के दौरान मियाद अधिनियम में छुट प्रदान की है। तथा प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हम प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करना उचित समझते है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील [illegible] कथन किया कि अपीलांट के पिता नोध सिंह पुत्र त्रिलोक [illegible] से चक 29 जीबी के पत्थर 174/418 मुरब्बा [illegible] 12, 13, 18, 19, 21, 22, 23 में कुल 2.466 [illegible] भूमि राजस्व [illegible] की जमाबंदी में अंकित थी। स्व. नोध सिंह ने [illegible] कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.06.13 11:17:41 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ [illegible]

Scanned with OKEN Scanner

वसीयत किसी भी वारिस के पक्ष में ना तो निष्पादित की एवं ना ही कभी ऐसी वसीयत को हस्ताक्षर किया। रेस्पोडेंट संख्या 5 ने अपने नजदीकी मित्रों गवाहान एवं नोटेरी पब्लिक से मिलीभगत कर स्व. नोध सिंह के देहान्त उपरांत उनकी एक कूटरचित वसीयत तैयार कर उस पर किसी अन्य के हस्ताक्षर करवाकर उक्त वसीयत रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत जिवित प्रथम श्रेणी के विधिक वारिस उत्तराधिकारीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया इसलिए नामांतरण दर्ज किया जाना सम्भव नहीं था।सार्वजनिक सूचना अखबार में प्रकाशित करवाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि इंतकाल स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के संबंध में आक्षेप केवल मात्र वारिसान को ही सकता है ना कि आमजन को। इसलिए अखबार में प्रकाशन का कोई औचित्य नहीं है। लैन्ड रिकार्ड रूल्स में स्पष्ट प्रावधान है कि अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामांतरण नहीं खोला जा सकता। जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा वसीयत की प्रमाणिकता सिद्व नहीं हो जाती तब तक नामांतरण नहीं खोला जा सकता। वसीयत अपंजीकृत तथा सफेद कागज का दस्तावेज है तथा उसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 सी एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनिवार्य प्रावधान के अनुसार सिद्व किया जाना आवश्यक है। जबकि हस्तगत प्रकरण में वसीयत जाहिर तौर पर अपंजीकृत है। कानूनी नजीर 2021 (4) CIVIL COURT CASES 029 (SC) PAGE NO. 29 मे यह उल्लेखित है कि– If dispute is with respect to titile and more particularly when mutation is sought on the basis of Will, such party has to get his rights crystalised by civil court and only thereafter on the basis of decision of Civil court, necessary mutation entry can be made. अर्थात यदि विवाद टाइटल के संबंध में है और विशेष रूप से जब वसीयत के आधार पर म्यूटेशन की मांग की जाती है, तो ऐसे पक्ष को सिविल कोर्ट द्वारा अपने अधिकारों को मूर्त रूप देना होगा और उसके बाद ही सिविल कोर्ट के फैसले के आधार पर आवश्यक म्यूटेशन एंट्री की जा सकती है। न्यायिक दृष्टांत 2018 (1) CIVIL COURT CASES 701 (P&H) PAGE NO. 701 मे यह उल्लेखित है कि Entry of a mutation on the basis of will, would not prove that a will was actually executed and duly provide. अर्थात वसीयत के आधार पर म्यूटेशन की प्रविष्टि, यह साबित नहीं करेगी कि वसीयत वास्तव में निष्पादित की गई थी और विधिवत प्रदान की गई थी। हस्तगत प्रकरण में सिविल न्यायालय से वसीयत के आधार पर हक व अधिकारों की घोषणा व वसीयत की वैद्यता को सिद्व करवाये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश दिनांक 14.10.2020 पारित किया है। इस तथाकथित वसीयत का निष्पादन दिनांक 23.10.2018 को किया जाना बताया गया है जिसमें कृषि भूमि के संबंध में वसीयत किया जाना वर्णित किया गया है तथा वसीयत पर फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये है। उक्त तथाकथित वसीयत के बाद दिनांक 25.10.2019 को नोध सिंह, नोध सिंह पत्नी रामदेवी (अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 5 की माता), अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 5 हरविन्द्र सिंह (रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पिता) द्वारा एक पारिवारिक बंटवारानामा निष्पादित किया गया जिस पर उन सभी के हस्ताक्षर भी अंकित है। उक्त बंटवारानामा अनुसार जीते जी रकबा नोध सिंह के नाम रहेगा। नोध सिंह की मृत्यु उपरांत उक्त रकबा रामदेवी कामरा का होगा तथा रामदेवी की मृत्यु उपरांत उक्त भूमि मालिक दो[illegible] व [illegible] होंगें। उक्त बंटवारानामा तथाकथित वसीयत के लगभग [illegible] वर्ष [illegible]त किया गया है। यदि वास्तविक रूप से वसी[illegible] 2[illegible]018 को किया गया होता तो बंटवारानामा में [illegible]सिंह एवं नोध सि[illegible]ारा हस्ताक्षर नहीं किये जाते तथा वसीयत का [illegible] होता [illegible] उक्त भूमि के संबंध में बंटवारानामा में कथन वर्णित नहीं होते जिससे सिद्व है [illegible] वसीयत नोध सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.06.13 11:17:41 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

के फर्जी हस्ताक्षर कर वसीयत बंटवारानामा के बाद अपराधिक षड्यंत्र कर तैयार की गई है। वसीयत पर हुए हस्ताक्षर की जांच भारत सरकार के पंजीकृत विशेषज्ञ द्वारा की गई जिन्होने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 16.06.2021 में वसीयत पर किये गये हस्ताक्षरो को संदिग्ध माना है। अतः उपरोक्त तथ्यो के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व 5 ने दौराने बहस लिखित बहस मे अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि जैर अपील भूमि नोधा के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होकर उनके कब्जा कास्त मे चली आ रही थी। नोधसिंह ने अपनी इच्छा से सोच समझकर अपनी खुशी से रोबरू दो स्वतंत्र गवाहान के जैर अपील भूमि की वसीयत अपनी दो पोतीयों यथा रेस्पोडेंट संख्या 1 सिद्वी कानरा व रेस्पोडेंट संख्या 2 रिद्वी कानरा के पक्ष मे दिनांक 23.10.2018 को करवाकर एडवोकेट व नोटेरी श्रीविजयनगर से तस्दीक करवा दी थी। उक्त वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त कार्यवाही विधिवत तरीके से पूर्ण करते हुए सभी पक्षों को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया परन्तु किसी की आपत्ति नहीं होने पर ही नियमानुसार नामांतरण स्वीकृत किया गया है। अपीलांट का कथन है कि स्व. श्री नोधसिंह की उक्त वसीयत कूटरचित तरीके से तैयार करवाई गई है। यदि ऐसा था तो फौजदारी मुकदमा करवाकर अदालत से सजा क्यों नही करवायी गई। महज अपील मे यह लिखदेना ही पर्याप्त नही है कि वसीयत फर्जी व कूटरचित है। जहां तक वसीयत के पंजीबद्व होने का प्रश्न है, इस संबंध में हिन्दू विधि पेज 874 पेश कर निवेदन है कि वसीयत पंजीबद्व होना आवश्यक नहीं है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील मनगढ़त तथ्यों के आधार पर पेश की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जैर आदेश दिनांक 14.10.2020 यथावत रखा जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर गहनता से चिंतन, मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया। स्व. श्री नोध सिंह द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 01 सिद्वि कानरा व रेस्पोडेंट संख्या 02 रिद्वि कानरा के पक्ष में जैर अपील रकबा यथा तहसील श्रीविजयनगर के चक 29 जीबी के पत्थर 174/418 मुरब्बा न. 37 किला न. 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 23 में कुल 2.466 है0 कृषि भूमि की दिनांक 23.10.2018 को निष्पादित की गई वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.10.2020 को प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने नोंध सिंह के विधिक वारिसान को व्यक्तिगत नोटिस ना देते हुए सीधे ही दैनिक भोर समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना जारी कर दी जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध सार्वजनिक सूचना की प्रति से जाहिर है। पत्रावली में उपलब्ध नोध सिंह, रामदेवी पत्नी नोध सिंह (अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 5 की माता), अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 5 हरविन्द्र सिंह (रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पिता) द्वारा निष्पादित पारिवारिक बंटवारानामा दिनांक 25.10.2019 में यह स्पष्ट अंकित है कि नोध सिंह के जीवनकाल में जैर अपील रकबा नोध सिंह के नाम रहेगा। रामदेवी की मृत्य उक्त बंटवारानामा तथाकथित वसीयत के लगभग एक वर्ष पश्चात किया गया है। यदि वास्तविक रूप से वसीयत का निष्पादन दिनांक 23.10.2018 को किया गया होता तो बंटवारानामा में हरविन्द्र सिंह एवं नोध सिंह द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जाते तथा बंटवारानामा में वसीयत का हवाला होता या उक्त भूमि के संबंध में बंटवारानामा में [illegible] होता। अतः पत्रावली के अवलोकन से नोध सिंह द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में सम्पादित वसीयत दिनांक 23.10.2018 [illegible] दृष्टांत 2021 (4) CIVIL COURT CASES 029 (S[illegible]) PAGE NO. 29 मे यह उल्लेखित है कि जब वसीयत के आधार पर म्यूटेशन की मांग की जाती है, तो ऐसे पक्ष को सिविल कोर्ट द्वारा अपने अधिकारों [illegible] मूर्त रूप देना होगा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.06.13 11:17:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

और उसके बाद ही सिविल कोर्ट के फैसले के आधार पर आवश्यक म्यूटेशन एंट्री की जा सकती है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सन्देहास्पद वसीयत के आधार पर प्रथम श्रेणी के जायज वारिसान को सुने बिना ही ही आलौच्य निर्णय पारित कर दिया। जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) श्रीविजयनगर का अपीलाधीन दिनांक 14.1[illegible].2020 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि श्री मोप सिंह के समस्त वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.06.13 11:17:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner